रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2681] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2016/कार्तिक 20, 1938
No. 2681] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016/KARTIKA 20, 1938

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

का.आ. 3442(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2163 (अ) के तहत बम विस्फोटों के मामलों के विशिष्ट विचारण के लिए सत्र न्यायालय, चेन्नै को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए संपूर्ण तमिलनाडु राज्य था;

और जबकि, तिरू पी. मुरुगन, जिन्हें दिनांक 29 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 283 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 29 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 283 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर डॉ. के. रामनाथन, जिला न्यायाधीश को एतदद्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2016

S.O. 3442(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2163 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Sessions Court for exclusive trial of Bomb Blast Cases, Chennai as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having jurisdiction throughout the State of Tamil Nadu for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Thiru P. Murugan, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 283 (E) dated the 29th January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th January, 2015, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 283 (E) dated the 29th January, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Madras, hereby appoints Dr. K. Ramanathan, District Judge as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA , Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

का.आ. 3443(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 15 दिसमबर, 2009 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3205 (अ) के तहत कोची स्थित विशेष न्यायाधीश के विशेष न्यायालय-।।, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केरल को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण केरल राज्य था;

और जबकि, श्री के. एम. बालचन्द्रन, जिन्हें दिनांक 25 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 25 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 888 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 25 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 888 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केरल उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर डॉ. कौसर इडप्पागत, अपर जिला-

न्यायाधीश-।/विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई)-।।/अपर जिला न्यायाधीश-IV, एर्णाकुलम को एतदद्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस- IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2016

S.O. 3443(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 3205 (E) dated the 14th December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th December, 2009, notified the Special Court-II of the Special Judge, Central Bureau of Investigation, Kerala at Kochi as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Kerala for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri K.M. Balachandran, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 888 (E) dated the 25th March, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th March, 2014, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 888 (E) dated the 25th March, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Kerala, hereby appoints Dr. Kauser Edappagath, Additional District Judge-I/Special Judge (SPE/CBI)-II/Additional District Judge-IV, Ernakulam as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

का.आ. 3444(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2150 (अ) के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यूपिया, एटानगर को उक्त अधिनियम की धारा 11 के उप खण्ड (1) के अंतर्गत कार्य संचालन के लिए पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के बतौर अधिसूचित किया था;

और जबकि, नानी ग्रायू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यूपिया, एटानगर जिन्हें दिनांक 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1947 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1947 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, गुहावटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्रीमती जावेपलू चाइ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सत्र प्रभाग, यूपिया को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए एतदद्वारा न्यायाधीश नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना,संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2016

S.O. 3444(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2150 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of District and Sessions Judge, Yupia, Itanagar as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having jurisdiction throughout the State of Arunachal Pradesh;

And whereas, Shri Nani Grayu, District and Sessions Judge, Yupia, Itanagar who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 1947 (E) dated the 22nd August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd August, 2012, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1947 (E) dated the 22nd August, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the Gauhati High Court, hereby appoints Smt. Jaweplu Chai, District & Sessions Judge, West Sessions Division, Yupia as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]
SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.15 23:17:33 +05'30'